

27/2/18

राजकन्या बंगम आंगू


13/5/25
15/5/25

किन्हे छोड़े हैं, परन्तु जातिवादी सै. 1, 2, 6 लगा. 8 की सही सम्मन पेश करने में वादी असमर्थ बरतते वादी को सही सम्मन पेश करने हेतु आदेश अवगत दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/5/25 की पेश हो।


13/5/25

13/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आधि. उप. जातिवादी सै. 1, 2, 6 लगा. 8 के सही सम्मन के माध्य सम्मन तलबाने पेश नहीं। पत्रावली वालें जातिवादी सै. 1, 2, 6 लगा. 8 की तलबी हेतु दिनांक 4/6/25 को पेश हो।


13/5/25

4/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बर एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 19/6/25 को पेश हो।


आधी से रीडर


19/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बर एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 1/7/25 को पेश हो।


आधी से रीडर


1/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आधि. उप. वादीया अन्त. वादी तथा जातिवादी सै. 1, 2, 6 लगा. 8 के सम्मन वाली सम्मन के माध्य पेश करने हेतु पत्रावली अवसर सिद्धि जाने के वावजूद पेश नहीं किन्तु आधी वादी तथा वादपत्र उत्तुलीकरण के उपरान्त के पत्रावली अवसर सिद्धि जाने के वावजूद भी जातिवादी सै. 1, 2, 6 लगा. 8 के सही सम्मन के माध्य सम्मन तलबाने पेश


आधी से रीडर
मीलेवाड़ा

27/2/18

तारीख हुम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
1/7/25	शमक-पा न नाम मांगू	
	<p>नहीं किये जाने के कारन वादी द्वारा उत्पन्न वाद अन्तर्गत धारा 53 अधिनियम का बरतकारी आधीनियम को आदेश 9 नियम 5 में न्यायालय आदेशों की पालना नहीं किये जाने से बरिच किया जाता है।</p> <p>निर्णय करे इजलास (शुनाया गया) उकी प्रची जारी हो। पचाबली जौगल शुमार लेकर दार्कल दफतर ले तथा नम्बर से कम हो।</p>	


01/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामकन्या पत्नी सोहन जी जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

-वादी

बनाम

1. मांगू पिता भूराजी जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. लाडु पत्नी हरलाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
3. लालू पिता भूरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
4. भोनीराम पिता कालू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
5. बद्रीलाल पिता कालू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
6. भंवरलाल पिता कालू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
7. जमना पुत्री कालू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
8. किशन माता कमला पिता हीरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराखेड़ी तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत विभाजन कराया जाने कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 27/2018 राजस्व वाद

वादीया अनुपस्थित एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 01.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी में न्यायालय आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा